

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13-05-2025

क्रमांक: 6/2/0015/2024-Sec-1-10 :: श्री विपुल प्रभात करोरिया, वनक्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, जावद, वन मंडल नीमच (म.प्र.) द्वारा लासूर में राजस्व भूमि को वन भूमि बताये जाने पर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2024 से निलंबित कर दिनांक 18.07.2024 द्वारा आरोप-पत्र जारी किये गये थे, जिसके विरुद्ध श्री करोरिया, वनक्षेत्रपाल द्वारा राज्य शासन के समक्ष अपील दिनांक 23.07.2024 को प्रस्तुत की गई।

2/ लासूर वनखण्ड के प्रश्नाधीन विवादित क्षेत्र की भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 की अधिसूचना त्रुटिपूर्ण जारी की गई थी एवं श्री करोरिया, वनक्षेत्रपाल द्वारा अधिसूचना का पालन नियमानुसार कराया जा रहा था। श्री करोरिया, वनक्षेत्रपाल को आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा आदेश दिनांक 02.08.2024 द्वारा निलंबन से बहाल कर यथावत पदस्थ किया गया। स्पष्टतः श्री करोरिया, वनक्षेत्रपाल की इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाने के फलस्वरूप आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन का निलंबन उपरांत आरोप-पत्र जारी किया जाना नियमों के विपरीत पाया गया।

3/ अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री करोरिया, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अपील मान्य करते हुये श्री करोरिया, वनक्षेत्रपाल के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त कर नस्तीबद्ध करता है तथा निलंबन अवधि को सेवा अवधि मान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
MOHIT BUNDAS

Date: 13-05-2025
18:56:00

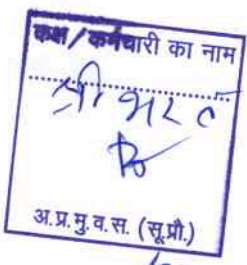
ADDITIONAL SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक: 6/2/0015/2024-Sec-1-10 भोपाल, दिनांक 13-05-2025

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।



Apex (Adm II)

PCCE & HoFF, M.P. Bhopal
15.5.25

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र., वन भवन, भोपाल।
3. आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन, (म.प्र.)।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त उज्जैन, (म.प्र.)।
5. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल, नीमच (म.प्र.)।
6. संबंधित- श्री विपुल प्रभात करोरिया, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र., वन भवन, भोपाल।

ADDITIONAL SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल.
पृ०क्रमांक/प्रशा-११/स्था-३/व.क्षे.कक्ष/२११५ भोपाल, दिनांक ०३/०५/२५
प्रतिलिपि.

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) भोपाल ।
2. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन ।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच, म.प्र.।
4. श्री विपुल प्रभात करोरिया, वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है श्री विपुल प्रभात करोरिया वनक्षेत्रपाल को प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय पाठक)

उप वन संरक्षक (प्रशा-११)

कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-११)

मध्यप्रदेश भोपाल

